न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/12552/2004/जयपुर

महन्त श्री शिव प्रकाश चन्द्र भट्टाचार्य पुत्र स्व0 महन्त भैरव राम भट्टाचार्य, ठिकाना श्री शिला माता जी आमेर, महंत जी की हवेली वार्ड नम्बर 1 आमेर तह0 आमेर जिला जयपुर। मृतक जरिये वारिसान :-

1- किशोर भट्टाचार्य पुत्र महन्त श्री शिव प्रकाश चन्द्र भट्टाचार्य
2- प्रमोद कुमार भट्टाचार्य पुत्र महन्त श्री शिव प्रकाश चन्द्र भट्टाचार्य
3- धर्मीया भट्टाचार्य पत्नि महन्त श्री शिव प्रकाश चन्द्र भट्टाचार्य
समस्त निवासी महन्त जी की हवेली, वार्ठ नम्बर-1, आमेर तह0 आमेर, जयपुर
4- सुमिता गोस्वामी पत्नि समेन्द्रर गोस्वामी पुत्री महन्त श्री शिव प्रकाश चन्द्रभट्टाचार्य निवासी 28 रोजा रोड, साउथ थर्ड लेन, तालीगंज, कोलकाता।
5- सुचित्रा चटर्जी पत्नि समर चटर्जी पुत्री महन्त श्री शिव प्रकाश चन्द्रभट्टाचार्य निवासी 3/2 बनेर्जी बडा लेन, कोलकाता।
6- सुकन्या पत्नि अशोक तंवर पुत्री महन्त श्री शिव प्रकाश चन्द्रभट्टाचार्य निवासी एफ. 162, पंचशील मार्ग, बगडिया भवन के पीछे, सी -स्कीम, जयपुर।

.... **अपीलार्थी**

बनाम

1- रामकरणपुत्र घीसा (मृतक) जरिये वारिसान :-
1/1- नारंगी देवी पत्नि रामकरण
1/2- रामराय मीणा पुत्र रामकरण
1/3- नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण
1/4- सरिता पुत्री रामकरण पत्नि ओमप्रकाश निवासी ग्राम मोरिजा तह0 चौमूॅं, जिला जयपुर।
2- रतन 3- पांचू पुत्रान पुत्र घीसा
समस्त जाति मीणा, निवासी जापटाणी ढाणी, बड का वास, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
4- जडाव पत्नि घीसा (मृतक) जाति मीणा जरिये वारिसान-
4/1- दुर्गा पुत्री जडाव निवासी ग्राम बागरियो, अचलापुर, तहसील चाकसू, जिला जयपुर
4/2- धोली पत्नि जडाव निवासील गंगापुर कालेज के सामने गंगापुर।
4/3- काली पत्नि जडाव निवासील गंगापुर कालेज के सामने गंगापुर।
5-राजस्थान सरकार जरिये हसीलदार, आमेर, जिला जयपुर।

.... **रैस्पो0**

खण्ड-पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थिति:-

श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक:- 05-12-2023

निर्णय

हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2004 शीर्षक महन्त शिवप्रकाश बनाम रामकरण वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13-08-2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी/रैस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष आराजी खसरा नम्बरान 5030, 5033, 5037, 5038, 5039, 5040/1, 5040/2, 5040 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरुद्ध एक वाद संख्या 81/1966 अंतर्गत धारा 88, 89, 90 व 91 आर0टी0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का पुराना कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादीगण को पुराने कब्जे काश्त के आधार पर कब्जा मुखालफाना से खातेदारी प्राप्त हो जाती है। जबाबदावे में प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादी संख्या-1 को रिकार्डेड खातेदार होना अंकित किया। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15-1-1968 से वादी का वाद खारिज किया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या 12/71 पेश होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय दिनांक 6-7-1973 से अपील अपीलार्थी खारिज की। इसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील पेश होने पर मण्डल की खण्डपीठ ने निर्णय दिनांक 27-1-1978 से अपील को खारिज किया।

3- वादीगण रामकरण वगैरा द्वारा पुनः वर्ष 1994 में घोषणा व स्थाई निषेधज्ञा का वाद इसी आराजीयात के सम्बन्ध में इसी प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया और परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु0 जयपुर ने निर्णय दिनांक 27-2-2004 से वादी का वाद डिक्री किया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी/महन्त शिव प्रकार की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 61/2004 प्रस्तुत की और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13-8-2004 से अपील को खारिज कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 6-7-2007 के द्वारा प्रकरण को आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करते हुये प्रकरण में दो अतिरिक्त तनकियात कायम करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। माननीय मण्डल की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 6-7-2007 के विरुद्ध अप्रार्थीगण रामकरण वगैरा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 607/2007 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 31.1.2003 के द्वारा इसे खारिज किया। इसके विरुद्ध डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील संख्या 73/2023 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई और इसमें माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने निर्णय दिनांक 8-3-2003 से इसे स्वीकार कर राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 6-7-2007 को अपास्त कर पत्रावली को माननीय मण्डल को इस आशय के साथ प्रेषित की कि तीन माह में उक्त प्रकरण को निस्तारण करें। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण में सुनवाई की गई।

4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम, 27 सी0पी0सी0 एवे प्रकरण के गुणावगुण पर योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

5- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष नें बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों का निर्णय वादी के वाद के अभिकथनों के विपरीत पारित किये हैं। एक तरफ जहॉ अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी प्रदान की है और वहीं दूसरी तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दी है जो

कि आपस में विरोधाभाषी हैं। धारा 19 के तहत खातेदारी प्रदान करने के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अर्थात् सम्वत् 2012 में रेकार्ड आफ राइट के आधार पर कब्जा काश्त होना आवश्यक है जब कि वादीगण के पक्ष में सम्वत् 2012 के कब्जा काश्त होने के बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड न तो प्रस्तुत किया गया है और ना ही इसे प्रदर्श करवाया गया है। वादीगण ने अपने पक्ष में मात्र खसरा गिरदावरी की प्रति ही पेश की है। न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2023(2) पेज 902 पेश कर निवेदन किया कि खसरा गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट की श्रेणी में नहीं आता है, अतः खसरा गिरदावरी के आधार पर किसी प्रकार के हकूक वादी के पक्ष को अर्जित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय तक से इस बिन्दु को तय किया जा चुका है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। आर0आर0टी0 2006(2) पेज 1155 को उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि प्रकरण में जो दोनों वाद प्रस्तुत किये गये हैं उनमें निहित पक्षकारान, विवाद बिन्दु व वादग्रस्त आराजी समान है और चाहा गया अनुतोष भी समान है, अतः प्रकरण में रैस्जुडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि जहॉ विवाद बिन्दु, समान पक्षकारान, समान अनुतोष चाहे गये हों वहॉ रैस्जुडिकेटा का सिद्धान्त लागू होगा और इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम द्रगेन्द्र सिंह के प्रकरण में सिविल अपील संख्या 5036/2022 निर्णय दिनांक 2-8-2022 का उद्धरण प्रस्तुत किया। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर प्रकरण में आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है, जब कि तनकीवार विवेचन करना आवश्यक था। इसके अलावा आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 273 को भी उद्धरित किया।

6- रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि रैस्पो0 का वादग्रस्त आराजीयात पर पुराना कब्जा काश्त रहा है और जो राजस्व रेकार्ड पेश किया है उसमें खसरा गिरदावरी के अंकनों से स्पष्ट रैस्पो0 का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। योग्य अधिवक्ता ने इस बिन्दु पर अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त 1996 आर0आर0डी0 पेज 535 (एस0सी0) को उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि खसरा गिरदावरी के अंकनों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपने निर्णय से पुष्ट किया है और न्याय दृष्टान्त 2010 आर0बी0जे0 पेज 297, 2012 आर0बी0जे0 पेज 13, 152, 588के अनुसार जब अपीलेट कोर्ट परीक्षण न्यायाालय के निर्णय से सहमत हो तो प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः तनकीवार विवेचन के सम्बन्ध में जो आपत्ति उनकी रही है वह संधारण योग्य नहीं है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं, 2007 आर0बी0जे0 पेज 35 (हाई कोर्ट), 2022 आर0आर0डी0 (1) पेज 196, 2020 आर0बी0जे0 पेज 513 व अन्य दृष्टान्तों को उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में ये भी कथन किया कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रकरण जो रैस्जुडिकेटा लागू होने को कथन किया है वह उचित नहीं है और

प्रकरण में कोई रैस्जुडिकेटा लागू नहीं होता है। न्याय दृष्टान्त 1985 आर0आर0डी0 पेज 581 को उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि रैस्जुडिकेटा का बिन्दु मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर तय नहीं होता है बल्कि दावे, तनकियात के आधार पर यह तय किया जाता है। अतः अपीलाथीर्ह पक्ष की यह आपत्ति चलने योग्य नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने न्याय दृष्टान्त 2017 आर0आर0टी0 (1) पेज 578 एवं 2023 डी0एन0जे0 (3) राज0 पेज 1289 को उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि वाद में रही कमजोरियों की पूर्ति हेतु आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं उनके अनुसरण में ही माननीय मण्डल को निर्णय करना चाहिए। न्याय दृष्टान्त ए0आई0आर0 1980 (राज0) पेज 139, ए0आई0आर0 1979 (कर्नाटक) पेज 40 को उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि राजस्व मण्डल, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों से बाहर जा कर निर्णय पारित नहीं कर सकता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का मनन किया गया।

8- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम, 27 सी0पी0सी0 एवं इसके साथ में प्रस्तुत दस्तावेजात का हमारे द्वारा अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये ये दस्तावेजात इन्हीं वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां आदि हैं, जिनकी विश्वसीनयचता संदेह से परे है। पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात के बाबत् विवादित वास्तविक प्रश्नों के अवधारण व निर्णय निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिये प्रस्तुत किये गये ये दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत व सहायक दस्तावेजात हैं। अतः इन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। आर0आर0टी0 2003(1) पेज 273 पर उद्धरित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय वाडी बनाम अमीलाल व अन्य में इसी आशय का मत प्रतिपादित किया गया है कि जो दस्तावेजात तात्विक विवाद्यक पर प्रकाश डालते हों और प्रकरण में निस्तारण में सुसंगत हों, उन्हें रेकार्ड पर लेना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम, 27 सी0पी0सी0 को **स्वीकार** किया जाता है।

9- इस अपील प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने D.B. Special Appeal (Writ) No. 73/2023 IN S.B. Civil Petition N0. 6072/2007 में पारित निर्णय दिनांक 08-03-2023 में निर्णय के पेज संख्या 6 में निम्न प्रकार से निर्देश प्रदान किये हैं:-

> " The issue with regard to possession and resjudicata, had been considered and decided by the trial court as well as first appellate court. The Board of Revenue ought to have examined the correctness of those findings after application of mind to the pleadings and evidence on record.

The order of the Board of Revenue, viewed from any angle, cannot be sustained in law. It suffers from jurisdictional error and patently illegal and, therefore, cannot be sustained,

In view of above consideration, we are inclined to allow this appeal and set aside the order passed by the learned Single Judge as also of the Board of Revenue dated 13-08-2004

The Board of Revenue is directed to decide the second appeal on its own merits in the light of the observations made hereinabove, preferably within a period of three months from the date of receipt of the certified copy of this judgment. "

10- माननीय उच्च न्यायालाय के इस निर्णय में दिये गये उपरोक्त निर्देशों की पालना में इस प्रकरण में परीक्षण किया गया। वादग्रस्त भूमियों बाबत् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वादपत्र एवं जबाबदावे के आधार पर प्रकरण में पॉच तनकियात निम्नानुसार कायम की गई थीं –

तनकी नम्बर 1

''आया वादीगण, दावे के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार की डिक्री पाने के हकदार हैं एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं'' ?

तनकी नम्बर 2

''आया वादीगण, दावा दायरी का कारण दिनांक 17/12/94 को प्रतिवादीगण द्वारा पत्थरगढी कराने के कारण हुआ'' ?

तनकी नम्बर 3

''आया वादीगण, ने एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थनापत्र अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा द्वारीा दिनांक 20/2/97 को खारिज हो चुका है, व न्यायालय हाजा के निर्णय की अपील 29/7/99 को खारिज हो चुकी है'' ?

तनकी नम्बर 4

''आया अपीलेट कोर्ट ने अपने निर्णय में विवादित भूमि पर कब्जा, प्रतिवादी संख्या 1 का माना है, इस कारण वादीगण दावा हाजा में पी. आई. की दादरसी पाने के हकदार नहीं हैं'' ?

तनकी नम्बर 5

''आया वादीगण, के पिता घीसा मुत्र मांग्या मीणा ने व घीसा ने पूर्व में न्यायालय हाजा में वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक पेश किया था जो पूर्व में खारिज हो चुका है व उक्त निर्णय रेसज्युडिकेटा है, व उक्त वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है'' ?

11- तनकी संख्या-1 इस आशय की कायम की गई है कि आया वादीगण अपने पक्ष में खातेदार-काश्तकार की डिक्री पाने के अधिकारी हैं और आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इस तनकी के संबंध में प्रकरण के परीक्षण में पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, आमेर, जयपुर के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें जो राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया है उसके अवलोकन यह पाया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के समय अर्थात् सम्वत् 2012 की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है और न ही इसे साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। जो राजस्व रिकार्ड नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 के पश्चात् की पेश की हैं उनके अवलोकन से पाया जाता है कि इनमें खातेदार के कॉलम संख्या-5 में शिवप्रकाश चन्द्र का नाम अंकित है। केवल कुछ खसरा नम्बरान के कॉलम नम्बर 5 में शिव प्रकाश चन्द्र के साथ मांग्या व0श0 के आशय के अंकन हैं। उक्त खसरा गिरदावरियों के काश्त के कॉलम में कुछ खसरा नम्बरान में खु0का0 अंकित की गई है और कुछ खसरा नम्बरान में मांग्या मीणा की काश्त अंकित की गई है। इस प्रकार उक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट रुप से सिद्ध होना पाया जाता है कि वादीगण या उसके पूर्वज मांग्या मीना के कभी खातेदार काश्तकार के रुप में वादग्रस्त आराजी नहीं रही हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में वाद संख्या 81/1966 वादीगण के पिता घीसा पुत्र मांग्या मीना द्वारा प्रतिवादी शिव प्रकाश चन्द के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 15-1-68 को निर्णय पारित किया है जिसमें स्पष्ट रुप से सिद्ध माना है कि ''वादी द्वारा यह कहीं साबित नहीं किया गया है कि वादी आराजी मुतनाजा का टीनैण्ट है। अतः ऐसी सूरत में वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 की कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है।'' उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोर्ट नम्बर-1, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 112/71 में पारित निर्णय दिनांाक 6-7-1973 माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रुप से माना है कि ''वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।'' उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 365/73 में माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने भी निर्णय दिनांक 27-1-1978 में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं मानते हुये अपील को खारिज किया है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा वाद संख्या 463/2002 में निर्णय दिनांक 27-2-2004 से वादी के वाद को राजस्व रिकार्ड के विपरीत व अविधिक रुप से स्वीकार किया है। इसकी पुष्टि निर्णय दिनांक 13-8-2004 से करने में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने भी विधिक भूल की है। उपरोक्त निर्णयों व संबंधित राजस्व रिकार्ड के परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि वादी/रैस्पो0 अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होते समय राजस्व रिकार्ड में ना तो खातेदार काश्तकार अंकित रहे हैं और न ही विधिक प्रकिया के अनुसरण में उनका किसी प्रकार का विधिक रुप से मान्य व स्वीकार्य कब्जा काश्त ही रहा है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि समय समय पर प्रति पादित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में इस आशय का स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि खसरा गिरदावरी के आधार पर किसी प्रकार के विधिक अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। आर0आर0टी0 2023(2) पेज 902 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने स्पष्ट रुप से अभिमत पारित किया है कि "Khasra girdawari is not a document of rights and cannot be considered"

उपरोक्त तथ्यात्मक विधिक स्थिति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-08-2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय दिनांक 27-2-2004, जो अधिनियम, 1955 की धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं वे विधि विरुद्ध होना पाये जाते हैं। अतः वादीगण/रैस्पो0 अपने पक्ष में किसी प्रकार का खातेदारी अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं और इस स्थिति में ना ही वे प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी रहे हैं। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टान्त भी इसी विधिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। परिणामस्वरुप यह तनकी अपीलार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

12- तनकी संख्या- 2 के विवेचन में पाया जाता है कि इस परद के पूर्व में ही वादीगण के पिता मांग्या वगैरा द्वारा परीक्षण न्यायालय में खातेदारी घोषणा हेतु एक वाद संख्या 81/1966 वादीगण के पिता घीसा पुत्र मांग्या मीना द्वारा प्रतिवादी शिव प्रकाश चन्द मंदिर माता जी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। इसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 15-1-68 को निर्णय पारित किया है जिसमें स्पष्ट रुप से यह माना है कि ''वादी द्वारा यह कहीं साबित नहीं किया गया है कि वादी आराजी मुतनाजा का टीनैण्ट है, अतः ऐसी सूरत में वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 की कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है।'' उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोर्ट नम्बर-1, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 112/71 में पारित निर्णय दिनाांक 6-7-1973 से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की गई है। इसकी पुष्टि में माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने निर्णय दिनांक 27-1-1978 में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक व उचित नहीं मानते हुये अपील को खारिज किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा पूर्व में वाद दायर करने से वाद कारण उक्त पूर्ववर्ती वाद के आधार पर हो गया था, अतः दिनांक 17-12-1994 की पत्थरगढी को ही एकमात्र वाद कारण होना नहीं माना जा सकता है। अतः यह तनकी रैस्पो0/वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

13- तनकी संख्या-3 के संबंध में यह पाया जाता है कि तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन में सिद्ध हो चुका है कि वादीगण/रैस्पो0 द्वारा पूर्व में परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद वाद संख्या 81/1966 प्रस्तुत किया गया था जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 15-1-68 को निर्णय किया गया । इसकी प्रथम अपील अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में होने पर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया था। द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में होने पर माननीय मण्डल के स्तर से भी अपने निर्णय दिनांक 27-1-1978 के द्वारा अपील को खारिज किया जा कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखा गया है। अतः यह पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से तनकी बहक अपीलार्थी/प्रतिवादीगण विरुद्ध वादीगण/रैस्पो0 तय की जाती है।

14- तनकी संख्या-4 इस आशय की कायम की गई कि आया वादीगण दावा में पी0आई0 (स्थाई निषेधाज्ञा) की दादरसी पाने के अधिकारी हैं। उपरोक्त विवेचित की गई तनकी संख्या-1 में स्पष्ट रुप से तय किया गया है कि वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में रैस्पो0/वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों को विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत सिद्ध नहीं कर पाये हैं। इस स्थिति में जब रैस्पो0/वादीगण न तो वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं और न ही वे विवादित भूमि के सम्बन्ध में

राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा पाने के अधिकारी हैं । इस विधिक स्थिति में वे वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपने पक्ष में राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। आर0आर0टी0 2006(2) पेज 1155 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार को भी अमान्य माना है। इसके अतिरिक्त इस वादग्रस्त भूमि बाबत् पूर्व में ही उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील प्राधिकारी व माननीय राजस्व मण्डल से रैस्पोण्डैण्ट के विपक्ष में पूर्व वर्णित निर्णय किये जा चुके हैं। इस प्रकार उपरोक्त समस्त परीक्षण व विवेचन से स्पष्ट है कि रैस्पो0/वादीगण प्रकरण में किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा अपने हक में पाने के अधिकारी नहीं रहते है। अतः यह तनकी विरुद्ध रैस्पो0 तय की जाती है।

15- तनकी संख्या-5 रेसज्युडिकेटा के सम्बन्ध में कायम की गई है। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड से इसके विवेचन में पाया जाता है कि पूर्व में वादी घीसा पुत्र मांग्या द्वारा प्रतिवादी शिवप्रकाश के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 के तहत आराजी स्थित कस्बा आमेर, बडी का बास, भांडादेह, जाटाणी कोठी खसरा नम्बरान 5030 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 5033 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 5037 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 5038 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 5039 रकबा 8 बिस्वा, 5040/1 रकबा 214 बिस्वा, 5040/2 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में वादपत्र संख्या 81/1966 प्रस्तुत किया था जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 15-1-68 को निर्णय पारित किया है जिसमें स्पष्ट रुप से सिद्ध माना है कि ''वादी द्वारा यह कहीं साबित नहीं किया गया है कि वादी आराजी मुतनाजा की टीनैण्ट है, अतः ऐसी सूरत में वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 की कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है।'' उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोर्ट नम्बर-1, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 112/71 में पारित निर्णय दिनांक 6-7-1973 माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रुप से माना है कि ''वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।'' उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 365/73 में माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने निर्णय दिनांक 27-1-1978 में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक व उचित नहीं मानते हुये अपील को खारिज किया है। जो नया दावा वर्ष 2002 में वादी घीसा के वारिसान द्वारा नये सिरे से प्रस्तुत किया गया वह भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद रहा है। उसमें भी यही वादग्रस्त आराजीयात स्थित कस्बा आमेर, बडी का बास, भांडादेह, जाटाणी कोठी खसरा नम्बरान 5030 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 5033 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 5037 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 5038 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 5039 रकबा 8 बिस्वा, 5040/1 रकबा 214 बिस्वा, 5040/2 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों वादपत्रों में निहित वादग्रस्त आराजीयात, वादपत्रों में निहित पक्षकारान, वादपत्रों में चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का समान रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम

इगेन्द्र सिंह के प्रकरण में सिविल अपील संख्या 5036/2022 में निर्णय दिनांक 2-8-2022 में रैस्जुडिकेटा के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया हैः-

> Res judicata - Principles of re judicata are attracted where the matter in issue in the later proceedings have directly and substantially veen in issue in earlier proceedings, between the same parties, in a competent forum having jurisdiction - Res judicata debars the Court from exercising jurisdiction to determine the lis, if it has attained finality between the parties - There is a distinction between res judicata and issue estoppel - In the case of issue estoppel, a party against whom an issue has been decided would be estopped from raising the same issue again.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान प्रकरण में पूर्णतया रैस्जुडिकेटा लागू होना पाया जाता है और वादीगण पूर्व वाद के तय हो जाने के उपरान्त नया वाद लाने से 'एस्टोप्ड' रहते हैं । वादग्रस्त भूमियों हेतु पूर्व में ही वाद निर्णित होने से बाद वाला वाद रैस्जुडिकेटा के तहत विधिक रुप से बाधित था। इस विधिक स्थिति में वादीगण द्वारा पेश किया गया बाद वाला वाद चलने योग्य नहीं पाया जाता है। फलतः तनकी संख्या-5 बहक अपीलार्थी/प्रतिवादी तय की जाती है।

16- उपरोक्त समस्त परीक्षण व विवेचन के परिणामस्वरुप अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से **स्वीकार** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2004 शीर्षक महन्त शिवप्रकाश बनाम रामकरण वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13-08-2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-2-2004 वाद संख्या 463/2002 खारिज किये जाते हैं। उक्तानुसार यह अपील निर्णित शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष